




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

61 कान्हरा सिंह मुण्डू बनाम लोराँ सिंह मुण्डू वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
07-05-18	<p>अभिलेख सं०-एम.....<u>46</u> /2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी ...<u>तसाड</u>... के अप्राथमिकी सं०-<u>13/18</u> दिनांक-<u>02-04-18</u> प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>धूमि निवाह को लेकर समय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति मुख्य होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति मुख्य हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए तसरो/सनरो प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>25-05-18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p>	
25-05-18	<p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p align="center"> <u>अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष जमानत दाखिल करे।</u> <u>दिनांक 11-06-18 को करते।</u> </p> <p align="right">  25/5/18 </p>	

67

पृष्ठ सं०-

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

03-12-18

अभिलेख अप्रत्यापित । प्रथम पत्र
अप्रीपत द्वितीय पत्र क्रमांक 01, 03 अप्रीपत
अन्य अनुप्रीपत । उक्त वाद में 6 (छः)
माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात्
वाद कालबाधित हो गया है। उक्त वाद
में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती
है।


03/12/18